


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
संशोधन – आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के शिक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश दिनांक (कॉलम संख्या-2 में उल्लेखितानुसार) के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित प्रारूप-6 में जारी आदेशों में, कॉलम संख्या 4 में उल्लेखितानुसार आंशिक-संशोधन एतद् द्वारा संशोधन किया जाता है :-


क्रं.सं	विभाग का आदेशांक / दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण	संशोधन
1	2	3	4
1	शिविरा/मा/संस्था/बी-1/सेवानिवृत्तियां – प्रअ/2019-20/समेकित-1 दिनांक 14 जनवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>235</b> प्रधानाध्यापक-मावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।”
2	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां – प्रअ/2019-20/समेकित-1 दिनांक 14 जनवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>07</b> प्रधानाध्यापक-मावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।”
3	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां – प्रअ/2019-20/3-(4) दिनांक 18 फरवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>04</b> प्रधानाध्यापक-मावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।”

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/सेनि-संशोधन/प्रअ0/2019 दिनांक 07 मार्च 2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-


- 01 सम्बन्धित संयुक्त-निदेशक, पेन्शन विभाग।
- 02 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-मा/प्रा शिक्षा।
- 04 सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
- 05 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 06 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
**संशोधन – आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा के शिक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश दिनांक (कॉलम संख्या-2 में उल्लेखितानुसार) के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित प्रारूप-6 में जारी आदेशों में, कॉलम संख्या 4 में उल्लेखितानुसार आंशिक-संशोधन एतद् द्वारा संशोधन किया जाता है :-


क्रं.सं	विभाग का आदेशांक / दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण	संशोधन
1	2	3	4
1	शिविरा / मा / संस्था / बी-2 / 45002 / सेवा निवृत्ति / 2018-19 दिनांक : 08 जनवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>04</b> प्रधानाचार्य-उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"
2	शिविरा / मा / संस्था / बी-2 / सेवानिवृत्तियां / 2019-20 / समेकित-2 दिनांक : 14 जनवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>24</b> प्रधानाचार्य-उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"
3	शिविरा / मा / संस्था / बी-2 / सेवानिवृत्तियां / 2019-20 / समेकित-1 दिनांक : 14 जनवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>624</b> प्रधानाचार्य-उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"
4	शिविरा / मा / संस्था / बी-2 / सेवानिवृत्तियां / 2019-20 / 2-6 दिनांक : 13 फरवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल <b>06</b> प्रधानाचार्य-उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"
5	शिविरा / मा / संस्था / बी-2 / सेवानिवृत्तियां / 2019-20 / 3-1 दिनांक : 13 फरवरी 2019	श्री लादूराम विश्‍नोई, प्रधानाचार्य -उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"



-- लता 2-

6	शिविरा/मा/संस्था/ बी-2/सेवानिवृत्तियां/ 2019-20/ दिनांक : 20 फरवरी 2019	संलग्न सूचीनुसार कुल 04 प्रधानाचार्य- उमावि के सेवानिवृत्ति आदेश	विभाग के प्रारूप-6 में जारी आदेश के द्वितीय पैरा में अंकित बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।"
---	--	---	--

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेनि-संशोधन/प्रधाना/2019 दिनांक : 07 मार्च 2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित संयुक्त-निदेशक, पेन्शन विभाग।
- 02 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-मा/प्रा शिक्षा।
- 04 सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
- 05 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 06 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर